

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/TRANS/8080/2014

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

— पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम),
ग्राम— कोतरा, पो.— कोतरा, तह. रायगढ़, जिला—
रायगढ़ में 765 कै.वी. D/C झारसुगुड़ा से
कोरबा (धरमजयगढ़) तक विद्युत लाईन— II
संचरण पथ स्थापित करना ।

(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र

— छत्तीसगढ़

(ii) जिला

— रायगढ़

(iii) वन प्रभाग

— रायगढ़

(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र. (हे.)—

93.1635 हेक्टेयर

(v) वन की कानूनी स्थिति

— संरक्षित, आरक्षित, नारंगी एवं
राजस्व वनभूमि
(सूची संलग्न)

(vi) हरियाली का घनत्व

— 0.1 से 0.5

(vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.—2मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4मी. भी संलग्न किया जाए ।

अनु. क्र.	प्रजातीवार वृक्ष का नाम	वैज्ञानिक नाम	अनु. क्र.	प्रजातीवार वृक्ष का नाम	वैज्ञानिक नाम
01	शाल	Shorea Robusta	08	कोसम	Schleichera Oleosa
02	साजा	Terminalia tomentosa	09	नीम	Azadirachata Indica
03	तेंदु	Diospyrog Meianoxylon	10	जामुन	Syzyglumcuimini
04	महुवा	Madhuca Indica	11	कर्रा	Cleistanthus collinus
05	बबूल	Acacia Arabica	12	अन्य मिश्रित	
06	आम	Mangifera Indica			
07	बांस	BambusaDendrocalmus			

..... संलग्न है

(viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी ।

.....भू-क्षरण नहीं होगा ।.....

(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी ।

..... प्रस्तावित स्थल की वन सीमा के अंदर है ।

(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है । (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)

.....नहीं है ।

(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।

.....नहीं पायी जाती ।.....

(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है । यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें ।

.....नहीं है ।

8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें ।

प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है । प्रमाण पत्र संलग्न है ।

9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है । (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं ।

..... अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है । प्रमाण पत्र संलग्न है

10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा

प्रस्तावित वन भूमि के बदले दुगने बिगडे वन भूमि में क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण 186.327 हे. (कक्ष क 964P प्रस्तावित रकबा 40.327 हैं , कक्ष क 933P प्रस्तावित रकबा 16 हैं , कक्ष क 1076 प्रस्तावित रकबा 55 हैं , कक्ष क 1075 प्रस्तावित रकबा 15 हैं. एवं कक्ष क दमदमा नारंगी, प्रस्तावित रकबा 60 हैं.) प्रस्तावित किया गया है। जिसमे सागौन प्रजाति के वृक्षारोपण की योजना है ।

- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्डों का आकार ।

प्रस्तावित वन भूमि के बदले दुगने बिगडे वन भूमि में क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण कक्ष क 964P, कक्ष क 933P ,कक्ष क 1076, कक्ष क 1075 एवं कक्ष क दमदमा नारंगी में किया जाएगा ।

- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप संलग्न है ।

- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि ।

.सागौन प्रजाति के वृक्षारोपण की योजना है, प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण प्रस्ताव के साथ किया गया है । सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है ।

- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय ।

क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है ।

- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।)

प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के संबंध में उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है ।

11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें ।)

जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है ।

12. विभाग/जिला प्रोफाईल

- (i) वनमण्डल का भौगोलिक क्षेत्र.
..... 4387.96 वर्ग कि.मी.
- (ii) वनमण्डल का वन क्षेत्र.
..... 1111.83 वर्ग कि.मी.
- (iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।
..... 48 प्रकरण, 3198.408 हे.
- (iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक :
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि ।
..... निरंक
(ख) वनेत्तर भूमि पर ।
..... निरंक
(v) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :

रायगढ़ वनमण्डल के अंतर्गत कुल स्वीकृत क्षेत्र 3198.408 हे. है । जिसके विरुद्ध 1592.130 हे. क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया गया है । शेष क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य प्रगति पर है ।

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

.आवेदित संस्थान द्वारा रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत तमनार, घरघोडा एवं खरसिया परिक्षेत्र में 765 के.वी. D/C झारसुगुड़ा से कोरबा (धरमजयगढ़) तक विद्युत लाईन— II स्थापित करने हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं है एवं वन भूमि की मांग न्यूनतम है । अतः प्रस्ताव स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है ।

दिनांक:- 15/12/2016

स्थान:- रायगढ़

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

वन मण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल